

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग लखनऊ- 226001

संख्या- 132-प्र०सु०-01/पाकालि/2008-19-प्र०सु०/2004

दिनांक-29 मई, 2008

कार्यालय-ज्ञाप

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत विभिन्न सूचना/अभिलेखों के प्राप्त/निरीक्षण करने हेतु कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-311-प्र०सु०-01/पाकालि/2005-19-प्र०सु०/2004 दिनांक 27.10.05 तथा कार्यालय ज्ञाप सं०-84-प्र०सु०-01/पाकालि/2007-19-प्र०सु०/2004 दिनांक 10.04.2007 द्वारा विभिन्न शुल्कों का निर्धारण एवं भुगतान का माध्यम निर्धारित किया गया है। तथा उक्त भुगतान की प्राप्ति हेतु सम्बन्धित प्राधिकारी को अधिकृत किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में शक्ति भवन (मुख्यालय) से सम्बन्धित सूचनाओं की प्राप्ति हेतु, आवेदकों द्वारा शुल्क के भुगतान हेतु भारतीय पोस्टल आर्डर/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चेक, उ०प्र०पा०का०लि०, मुख्यालय के जन सूचना अधिकारी के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों के नाम से भी प्राप्त हो रहे हैं। चूंकि उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, मुख्यालय का खाता लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के नाम से संचालित होने के कारण उक्त शुल्क की प्राप्ति में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत आवेदकों से विभिन्न शुल्कों को प्राप्त करने हेतु बैंक चेक/बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर, बैंक में खाताधारी "लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ" के नाम से स्वीकार किये जायेंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशासन)

संख्या-132(1) प्र०सु०-01/पाकालि/2008-19-प्र०सु०/2004, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ०प्र० शासन, बापू भवन, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष, महोदय से सम्बद्ध महाप्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- निदेशक (का०प्र० एवं प्रशासन) / निदेशक (वित्त) / (वितरण) / पारेषण, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 5- मुख्यमहाप्रबन्धक (का०प्र०-प्रथम/द्वितीय), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- महाप्रबन्धक (का०प्र०-तृतीय) एवं जनसूचना अधिकारी / उपमहाप्रबन्धक (अरा०) एवं सहायक जन सूचना अधिकारी, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

कु०१०३०

- 7- महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) / (निधि) / (वित्त) / उपमुख्य लेखाधिकारी (निधि) / लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- वरिष्ठ महालेखाकार (ई) / महालेखाकार (आडिट)-II कार्यालय, लखनऊ।
- 9- कम्पनी सचिव / उ०प्र०पा०का०लि०।
- 10- समस्त उपसचिव / अनुसचिव / अनुभाग अधिकारी / शिविर / प्रकोष्ठ, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 11- अधिशासी अभियन्ता (वेब साइट), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन के वेबसाइट पर अपडेशन हेतु।
- 12- नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

(बी०के० मट्ट)

मुख्य महाप्रबन्धक (का०प्र०-प्रथम)